न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 13/2021 दायरा दिनांक : 02.02.2021

उनवान

श्रीमती तुलसीबाई पुत्री श्री हरनारायण जी पत्नी श्री भवानीशंकर (ड्राईवर) जाति जाटव, उम्र ..... वर्ष, निवासी खजूरपुरा वार्ड, जिला बारां राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1– दीपचन्द तथाकथित मुतबन्ना हरनारायण, आयु 42 वर्ष, पुत्र रतनलाल, जाति जाटव, निवासी देहरी, तहसील छबड़ा, जिला बारां, राजस्थान

2– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, छबड़ा, जिला बारां राजस्थान

3– उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा, जिला बारां, राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री दीनानाथ गालव अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री जितेन्द्र चौरसिया अभिभाषक रेस्पोडेंट नं.1 की ओर से

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2021 द्वारा उपखण्ड अधिकारी,

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

छबड़ा जिससे वाद संख्या – 203/2007/दावा वास्ते अन्तर्गत धारा 88, 89, 91, 92ए, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वादी का वाद स्वीकार किया गया।

निर्णय **दिनांक : 10.04.2023**

1 वाद पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

2 स्वर्गीय हरनारायण आत्मज दोला जाटव (चमार) निवासी देहरी तहसील छबड़ा के खाते में ग्राम केलखेड़ी, तहसील छबड़ा के खाते में निम्न कृषि आराजियात दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। ग्राम केलखेडी, तहसील छबड़ा में खसरा नम्बर 13 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 मिन 1 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 75/1 रकबा 17 बिस्वा, ग्राम उदपुरिया, तहसील छबड़ा में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा .4 बीघा 16 बिस्वा, तथा ग्राम देहरी, तहसील छबड़ा में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2/437 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 407/1 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा।

3 हरनारायण के सगे भाई रतनलाल के वादी एकमात्र संतान थी, किन्तु वादी की लगभग एक वर्ष की आयु में रतनलाल का स्वर्गवास हो गया और वादी की दो तीन साल की उम्र में वादी को वादी की माता, हरनारायण व उसकी पत्नी चन्दीबाई प्रतिवादिनी को गोद देकर नाते चली गई। इसके बाद वादी हरनारायण के साथ ही रहा। वादी

अनुपम टेलर
उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

की परवरिश तथा शादी विवाह भी स्वर्गीय हरनारायण ने ही किया और यहां तक कि स्वर्गीय हरनारायण का कियाकर्म भी वादी ने किया। हरनारायण की पाग भी वादी को ही बंधी, इस प्रकार वादी स्वर्गीय हरनारायण का दत्तक पुत्र है।

4 स्वर्गीय हरनारायण ने उसके जीवनकाल में वादी की सेवाओं से प्रसन्न होकर वादी के पक्ष में दिनांक 28.11.2005 को रूबरू गवाहान मांगीलाल पुत्र भैरूलाल, धाकड़, निवासी बडोदिया, तहसील छबड़ा व मांगीलाल आत्मज तुलसीराम, जाति मीणा, निवासी देहरी, तहसील छबड़ा, अमरलाल आत्मज बिशनलाल, जाति जाटव, निवासी ढोलम, तहसील छीपाबडौद एवं श्योजीराम आत्मज प्रभूलाल, जाति जाटव, निवासी देहरी, तहसील छबड़ा को सुन व समझकर उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के नाम करके स्वयं के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किया।

5 वादी स्वर्गीय हरनारायण के जीवनकाल से उसके अंतिम समय तक स्वर्गीय हरनारायण के साथ रहा और स्वर्गीय हरनारायण की वृद्धावस्था के कारण उसकी सेवा चाकरी से लेकर समस्त चल व अचल सम्पत्ति की देखरेख करता रहा तथा हरनारायण का दिनांक 01.05.2006 को स्वर्गवास हो जाने पर उक्त वसीयत दिनांक 28.11.2005 के आधार पर स्वर्गीय हरनारायण की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर बहैसियत मालिक, काबिज हो गया।

6 प्रतिवादीगण की नियत में बदनियती आने से प्रतिवादनी नम्बर 2 तुलसाबाई ने स्वर्गीय हरनारायण की जायदाद हड़पने के लिए उसकी नकली पुत्री बनकर चंदीबाई बेवा हरनारायण से सांठ–गांठ करके स्वर्गीय हरनारायण के नाम की दिनांक 09.12.2005 को वसीयत करवाई। जिसे गवाहान के समक्ष हरनारायण को पढ़कर भी नहीं

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

सुनाया गया तथा हरनारायण की दिनांक 09.12.2005 को मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वह इस दिनांक को सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। वह निर्णायक स्थिति में भी नहीं था। तुलसाबाई स्वर्गीय हरनारायण की जाइंदा पुत्री नहीं होकर मूला जाटव, निवासी देहरी की विवाहिता पत्नी मोत्या की संतान है। जो मूला के नुत्फे से पैदा हुई थी तथा उसकी माता मोत्या के साथ हरनारायण के साथ गैलड आई थी। इसलिए उक्त तुलसाबाई हरनारायण की पुत्री नहीं होकर मूला की पुत्री है। इसलिए उक्त वसयीत दिनांक 09.12.2005 एवं इंतकाल फोती हरनारायण वादी के हकों तक प्रभावशून्य है।

7 प्रतिवादीगण 1 व 2 ने दुरभि संधि करके स्वर्गीय हरनारायण की जायदाद हड़पने की नियत से उक्त वसीयत दिनांक 09.12.2005 को तैयार करवाकर हरनारायण का स्वर्गवास दिनांक 01.05.2006 होने पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके देहरी की आराजियात का फोती इंतकाल नम्बर 397 दिनांक 21.04.2007 को उनके पक्ष में खुलवाकर तस्दीक करवाया तथा वादी द्वारा दरख्वास्त देने पर उपजिला कलेक्टर, छबडा के आदेश के उपरान्त भी स्वर्गीय हरनारायण के फोती इंतकाल के समय तहसीलदार, छबडा ने वादी से कोई पूछताछ नहीं की और वादी को साक्ष्य का कोई हवाला नहीं दिया तथा चुपचाप मनमाने तरीके से प्रतिवादीगण के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने का आदेश उक्त इंतकाल पर पटवारी रिपोर्ट के बाद दिया, जिसे इंतकाल में पटवारी की रिपोर्ट के बाद चस्पा किये जाने का नोट पृथक से अंकित किया। इस प्रकार उक्त इंतकाल की जांच वादी का साक्ष्य व सबूत का अवसर दिये बिना, वादी को सुने बिना, प्रतिवादीगण 1 व 2 से सांठ गांठ करके की गई है और उक्त इंतकाल तस्दीक किया गया। जो वादी के हकों पर प्रभावशून्य एवं निरस्तनीय है।

(डॉ० अनुपमा टेलर)
भू-अवाप्ति अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

8 प्रतिवादीगण उक्त देहरी की आराजियात के अतिरिक्त स्वर्गीय हरनारायण की अन्य आराजियात का इंतकाल भी उनके पक्ष में खुलवाकर तस्दीक करवाने पर आमादा है। सम्बन्धित हल्का पटवारियान से नकल इंतकाल मांगने पर इंतकाल तस्दीक होने से इंकार किया। इसलिए देहरी के अतिरिक्त अन्य गांव की आराजियात का इंतकाल खुला या नहीं खुला, वादी को कोई ज्ञान नहीं है।

9 प्रतिवादीगण उक्त चरण नम्बर 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का उनके पक्ष में इंतकाल खुलवाकर उक्त आराजियात को बैंक ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार से विक्रय व हस्तान्तरण करने तथा उक्त आराजियात से वादी को जबरन बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है। इस समय काश्त का मौसम चल रहा है और यदि प्रतिवादीगण ने उक्त आराजियात से वादी को जबरन बलपूर्वक बेदखल कर दिया अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया तो वादी व उसके परिवार की जीविकापार्जन का साधन समाप्त हो जाएगा और वादी पैसों के अभाव में अपने जायज हक व हकूक पाने से वंचित रह जाएगा तथा वादी को अन्य कई मुकदमों में उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति द्रव्य से अथवा अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी।

10 उक्त इंतकाल नम्बर 397 देहरी का इल्म वादी को दिनांक 03.07.2007 को प्रथम बार होने पर तथा प्रतिवादनीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा चरण नम्बर 1 वाद पत्र में वर्णित भूमियात को बेचने एवं बैंक ऋण लेने एवं वादी को बेदखल कर कब्जा छुड़ाने की दिनांक 03.07.2007 को धोस दी। इसलिए इस वाद प्रस्तुति का कारण अंतिम बार दिनांक 03.07.2007 को उत्पन्न हुआ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11 अतः डिक्री बहक वादी चरण नम्बर 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का वादी को खातेदार कृषक घोषित करके वादी के नाम भू अभिलेख में प्रविष्ठि करने तथा इन भूमियात के वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने एवं इन भूमियात को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित व बंधक नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण 1 ता 3 को पाबन्द करने की कृपा करें।

12 अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

13 अभिभाषक प्रार्थी द्वारा वाद पत्र विरूद्ध अप्रार्थीगणों के इस न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया है कि स्वर्गीय हरनारायण आत्मज दोला जाटव (चमार) निवासी देहरी तहसील छबड़ा के खाते में ग्राम केलखेडी, तहसील छबड़ा के खाते में निम्न कृषि आराजियात दर्ज जमाबंदी चली आ रही है। ग्राम केलखेडी, तहसील छबड़ा में खसरा नम्बर 13 रकबा 03 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 12 मिन 1 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नम्बर 14 रकबा 02 बीघा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 75/1 रकबा 17 बिस्वा, ग्राम उदपुरिया, तहसील छबड़ा में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 07 रकबा 14 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 8 रकबा .4 बीघा 16 बिस्वा, तथा ग्राम देहरी, तहसील छबड़ा में वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 2/437 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 407/1 रकबा 10 बीघा 08 बिस्वा।

14 हरनारायण के सगे भाई रतनलाल के वादी एकमात्र संतान थी, किन्तु वादी की लगभग एक वर्ष की आयु में रतनलाल का स्वर्गवास

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, कोटा

हो गया और वादी की दो तीन साल की उम्र में वादी को वादी की माता, हरनारायण व उसकी पत्नी चन्दीबाई प्रतिवादिनी को गोद देकर नाते चली गई। इसके बाद वादी हरनारायण के साथ ही रहा। वादी की परवरिश तथा शादी विवाह भी स्वर्गीय हरनारायण ने ही किया और यहां तक कि स्वर्गीय हरनारायण का किया कर्म भी वादी ने किया। हरनारायण की पाग भी वादी को ही बंधी, इस प्रकार वादी स्वर्गीय हरनारायण का दत्तक पुत्र है।

15 स्वर्गीय हरनारायण ने उसके जीवनकाल में वादी की सेवाओं से प्रसन्न होकर वादी के पक्ष में दिनांक 28.11.2005 को रूबरू गवाहान मांगीलाल पुत्र भैरूलाल, धाकड़, निवासी बडोदिया, तहसील छबड़ा व मांगीलाल आत्मज तुलसीराम, जाति मीणा, निवासी देहरी, तहसील छबड़ा, अमरलाल आत्मज बिशनलाल, जाति जाटव, निवासी ढोलम, तहसील छीपाबडौद एवं श्योजीराम आत्मज प्रभूलाल, जाति जाटव, निवासी देहरी, तहसील छबड़ा को सुन व समझकर उसकी समस्त चल व अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के नाम करके स्वयं के हस्ताक्षर व अंगूठा निशानी किया।

16 वादी स्वर्गीय हरनारायण के जीवनकाल से उसके अंतिम समय तक स्वर्गीय हरनारायण के साथ रहा और स्वर्गीय हरनारायण की वृद्धावस्था के कारण उसकी सेवा चाकरी से लेकर समस्त चल व अचल सम्पत्ति की देखरेख करता रहा तथा हरनारायण का दिनांक 01.05.2006 को स्वर्गवास हो जाने पर उक्त वसीयत दिनांक 28.11.2005 के आधार पर स्वर्गीय हरनारायण की समस्त चल व अचल सम्पत्ति पर बहैसियत मालिक, काबिज हो गया।

17 प्रतिवादीगण की नियत में बदनियती आने से प्रतिवादनी नम्बर 2 तुलसाबाई ने स्वर्गीय हरनारायण की जायदाद हड़पने के लिए उसकी

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

नकली पुत्री बनकर चंदीबाई बेवा हरनारायण से सांठ–गांठ करके स्वर्गीय हरनारायण के नाम की दिनांक 09.12.2005 को वसीयत करवाई। जिसे गवाहान के समक्ष हरनारायण को पढ़कर भी नहीं सुनाया गया तथा हरनारायण की दिनांक 09.12.2005 को मानसिक स्थिति सही नहीं थी। वह इस दिनांक को सोचने समझने की स्थिति में नहीं था। वह निर्णायक स्थिति में भी नहीं था। तुलसाबाई स्वर्गीय हरनारायण की जाइंदा पुत्री नहीं होकर मूला जाटव, निवासी देहरी की विवाहिता पत्नी मोत्या की संतान है। जो मूला के नुत्फे से पैदा हुई थी तथा उसकी माता मोत्या के साथ हरनारायण के साथ गैलड आई थी। इसलिए उक्त तुलसाबाई हरनारायण की पुत्री नहीं होकर मूला की पुत्री है। इसलिए उक्त वसयीत दिनांक 09.12.2005 एवं इंतकाल फोती हरनारायण वादी के हकों तक प्रभावशून्य है।

18 प्रतिवादीगण 1 व 2 ने दुरभि संधि करके स्वर्गीय हरनारायण की जायदाद हड़पने की नियत से उक्त वसीयत दिनांक 09.12.2005 को तैयार करवाकर हरनारायण का स्वर्गवास दिनांक 01.05.2006 होने पर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत करके देहरी की आराजियात का फोती इंतकाल नम्बर 397 दिनांक 21.04.2017 को उनके पक्ष में खुलवाकर तस्दीक करवाया तथा वादी द्वारा दरख्वास्त देने पर उपजिला कलेक्टर, छबडा के आदेश के उपरान्त भी स्वर्गीय हरनारायण के फोती इंतकाल के समय तहसीलदार, छबडा ने वादी से कोई पूछताछ नहीं की और वादी को साक्ष्य का कोई हवाला नहीं दिया तथा चुपचाप मनमाने तरीके से प्रतिवादीगण के पक्ष में इंतकाल तस्दीक करने का आदेश उक्त इंतकाल पर पटवारी रिपोर्ट के बाद दिया, जिसे इंतकाल में पटवारी की रिपोर्ट के बाद चस्पा किये जाने का नोट पृथक से अंकित किया। इस प्रकार उक्त इंतकाल की जांच वादी का साक्ष्य व सबूत का अवसर दिये बिना, वादी को सुने बिना, प्रतिवादीगण 1 व

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2 से सांठ गांठ करके की गई है और उक्त इंतकाल तस्दीक किया गया। जो वादी के हकों पर प्रभावशून्य एवं निरस्तनीय है।

19 प्रतिवादीगण उक्त देहरी की आराजियात के अतिरिक्त स्वर्गीय हरनारायण की अन्य आराजियात का इंतकाल भी उनके पक्ष में खुलवाकर तस्दीक करवाने पर आमादा है। सम्बन्धित हल्का पटवारियान से नकल इंतकाल मांगने पर इंतकाल तस्दीक होने से इंकार किया। इसलिए देहरी के अतिरिक्त अन्य गांव की आराजियात का इंतकाल खुला या नहीं खुला, वादी को कोई ज्ञान नहीं है।

20 प्रतिवादीगण उक्त चरण नम्बर 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का उनके पक्ष में इंतकाल खुलवाकर उक्त आराजियात को बैंक ऋण अथवा अन्य किसी प्रकार से विक्रय व हस्तान्तरण करने तथा उक्त आराजियात से वादी को जबरन बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा है। इस समय काश्त का मौसम चल रहा है और यदि प्रतिवादीगण ने उक्त आराजियात से वादी को जबरन बलपूर्वक बेदखल कर दिया अथवा अन्य किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित कर दिया तो वादी व उसके परिवार की जीविकापार्जन का साधन समाप्त हो जाएगा और वादी पैसों के अभाव में अपने जायज हक व हकूक पाने से वंचित रह जाएगा तथा वादी को अन्य कई मुकदमों में उलझकर समय व धन की अपरिमित क्षति होगी। जिसकी पूर्ति द्रव्य से अथवा अन्य किसी प्रकार से नहीं हो सकेगी।

21 उक्त इंतकाल नम्बर 397 देहरी का इल्म वादी को दिनांक 03.07.2017 को प्रथम बार होने पर तथा प्रतिवादनीगण नम्बर 1 व 2 द्वारा चरण नम्बर 1 वाद पत्र में वर्णित भूमियात को बेचने एवं बैंक ऋण लेने एवं वादी को बेदखल कर कब्जा छुड़ाने की दिनांक

03.07.2017 को धोस दी। इसलिए इस वाद प्रस्तुति का कारण अंतिम बार दिनांक 03.07.2017 को उत्पन्न हुआ।

22 अतः डिकी बहक वादी चरण नम्बर 1 वाद पत्र में वर्णित आराजियात का वादी को खातेदार कृषक घोषित करके वादी के नाम भू अभिलेख में प्रविष्ठि करने तथा इन भूमियात के वादी के कब्जे काश्त में हस्तक्षेप नहीं करने एवं इन भूमियात को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित व बंधक नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण 1 ता 3 को पाबन्द करने की कृपा करें।

23 वादी का वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी कम 1 व 2 की ओर से जवाब दावा मय काउंटर क्लेम पेश हुआ। वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबंदी ग्राम केलखेड़ी नकल जमाबंदी ग्राम केलखेड़ी सम्वत 2060 से 2063 खाता संख्या 76 नकल जमाबंदी ग्राम केलखेड़ी संवत 2060से 2063 खाता संख्या 78, नकल जमाबंदी ग्राम देहरी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 139, नकल जमाबंदी ग्राम उदपुरिया सम्वत खाता संख्या 87 नकल जमाबंदी ग्रो देहरी सम्वत 2061 से 2064 खाता संख्या 140 नकल नामा0 संख्या 397 ग्राम देहरी नकल वसीयतनामा दिनांक 28.11. 2005, नकल वारिस प्रमाण पत्र, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र हरनारायण शोक संदेश, नकल परिवार राशि कार्ड, फोटो, पंचनामा, नकल वोटर लिस्ट, नकल नियमन आवंटन अधिकार पत्र दिनांक 19.07.1999 नकल इस्तगासा धारा 107, 116(3) सी आर पी सी नकल न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय दिनांक 27.07.2000 की प्रति नकल अंतिम फर्म रिपोर्ट नकल जमा की पोथी की नकल, नकज जमा की पोथी का अनुवाद, नकल शोद सन्देहश, पेश किया गया। साक्ष्य वादी में पी डब्ल्यू 1 दीपचन्द, पी डब्ल्यू 2 चन्दीबाई, पी डब्ल्यू 3 अमरलाल, पी डब्ल्यू 4 मांगीलाल, पी डब्ल्यू 5 मांगीलाल पुत्र भैरूलाल, पी डब्ल्यू 6

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अमर लाल पुत्र किशनलाल, पी डब्ल्यू 7 मनोज कुमार के बयान कराये गये। नकल वासियतनामा दिनांक 11.04.2011 पेश की गई।

24 वकील प्रतिवादी व प्रतिवादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल वसीयतनामा दिनांक 09.12.2005, नकल वसीयतनामा दिनांक 27.09.2008 फोटो प्रति नकल मृत्यु प्रमाण पत्र हरनारायण, नकल मृत्यु प्रमाण पत्र चन्दीबाई, नकल वोटर लिस्ट की प्रति, नकल जमाबंदी ग्राम देहरी सम्वत 2065–2068 खाता संख्या 46, नकल जमाबंदी ग्राम देहरी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 140, नकल जमाबंदी ग्राम देहरी सम्वत 2061–2064 खाता संख्या 139, नकल जमाबंदी निर्णय दिनांक 07.05.2013 नामा0 राजस्व मण्डल राज0 अजमेर पेश की गई, साक्ष्य प्रतिवादी में डी डब्ल्यू 1 तुलसा बाई, डी डब्ल्यू 2 रामनाथ, डी डब्ल्यू 3 हरिचरण, डी डब्ल्यू 4 गजेन्द्र सिंह, डी डब्ल्यू 5 भगवान स्वरूप भार्गव के बयान कराये गये।

25 वादी के वाद पत्र एवं प्रतिवादीगण के काउंटर क्लेम के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की जाती है –

26 तनकी नम्बर 1– भूमि खसरा नम्बर 13 रकबा 1.03 बीघा, खसरा नम्बर 12 मिन 1 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नम्बर 14 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बर 75/1 रकबा 17 बिस्वा, वाके ग्राम केलखेड़ी तथा भूमि खसरा नम्बर 7 रकबा 14.15 बीघा व खसरा नम्बर 8 रकबा 4.16 बीघा ग्राम उदपुरिया, खसरा नम्बर 2/437 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 2 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 3 बिस्वा, खसरा नम्बर 407/1 रकबा 10.08 बीघा वाके ग्राम केलखेड़ी में स्वर्गीय हरनारायण आत्मज दोला, जाति जाटव, निवासी देहरी के खाते में चली आ रही है। (वादी)

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

27 तनकी नम्बर 2– हरनारायण जी के सगे भाई रतनलाल के एक मात्र सन्तान वादी था। रतनलाल का स्वर्गवास होने पर वादी की माता ने हरनारायण व उसकी पत्नी चन्दरी बाई को गोद लेकर चली गई। वादी हरनारायण के साथ रहा व परवरिस की, शादी ब्याह किया और हरनारायण के मरने के बाद पाग भी वादी के ही बंधी, इस कारण वादी हरनारायण का दत्तक पुत्र है। (वादी)

28 तनकी नम्बर 3– हरनारायण ने अपने जीवनकाल में दिनांक 28.11.2005 को वसीयत वादी के पक्ष में कर दी थी और वादी हमेशा हरनारायण के साथ रहा उसकी चल अचल सम्पत्ति पर काबिज हो गया है। (वादी)

29 तनकी नम्बर 4– प्रतिवादनी तुलसाबाई की नियत में बदयान्ती आ गई है और वह चन्दरी बाई से सांठ गांठ करके स्वर्गीय हरनारायण से 09.12.2005 को वसीयत कराई उस समय उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी और उसे पढ़कर भी नहीं सुनाई। तुलसा बाई हरनारायण की लड़की नहीं है। तुलसा बाई मुलिया जाटव ग्राम देहरी की लड़की है। इसलिए वसीयत व इन्तकाल दोनों ही प्रभाव शून्य है। (वादी)

30 तनकी नम्बर 5– इन्तकाल चुपचाप सांठ गांठ करके खोला गया, इसलिए निरस्तनीय है तथा अन्य गोद का इन्तकाल खुलाया नहीं इसका ज्ञान वादी को नहीं है। (वादी)

31 तनकी नम्बर 6– आया वादील समस्त आराजी का खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है। (वादी)

32 तनकी नम्बर 7– मृतक हरनारायण का तुलसा बाई ने अंतिम संस्कार किया तथा जमीन पर भी प्रतिवादी नम्बर 2 का कब्जा रहा और वर्तमान में भी प्रतिवादी नम्बर 2 का कब्जा है। (प्रतिवादी नम्बर 2)

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

33 तनकी नम्बर 8– उक्त वाद को सुनने वसीयत को निरस्त करने एवं दत्तक पुत्र को घोषित कराने का अधिकार केवल दीवानी अदालत को ही है, इसलिए यह वाद सम्मानीय न्यायालय में चलने योग्य नहीं है। (प्रतिवादी)

34 तनकी नम्बर 9– वादी हर तरह झूठे हथकण्डे अपना कर जमीन हड़पना चाहता है। (प्रतिवादी)

35 तनकी नम्बर 10– दादरसी।

36 वादी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में वास्ते साक्ष्य दीपचन्द, चन्द्रीबाई, अमरलाल, मांगीलाल, मनोज कुमार एवं प्रतिवादी की ओर से तुलसा बाई, रामनाथ, हरिचरण, गजेन्द्र सिंह पेश किये गये।

37 पी डब्ल्यू 1– साक्ष्य वादी दीपचन्द ने अपनी जिरह में बताया कि मैं कक्षा 7वीं तक पढ़ा हूं और चाचौड़ा, तहसील छबड़ा में पढ़ा हूँ यह बात गलत है कि मैं छीपाबडौद रहता हूं, बल्कि देहरी गांव रहता हूं, यह बात सही है कि मैंने छीपाब0डोद में ग्राम पंचायत से राशन कार्ड बनवाया था। हरनारायण के नाम से बनवाया था उसमें नाम लिख दिया यह बात सही है कि छीपाबडौद से राशन कार्ड बनवाया उसमें मेरा नाम पत्नि का नाम तथा बच्चों का नाम है यह बात सही है कि मैंने राशन कार्ड में मेरे पिता का नाम रतनलाल लिखवाया था जो पैदा करने वाले थे। गोद लेने वाले हरनारायण थे। यह बात सही है कि यह बात मैंने राशनकार्ड में नहीं लिखवायी। मैं दत्तक पुत्र हरनारायण का हूं। यह बात गलत है कि वोटर लिस्ट में मेरे पिता का नाम रतनलाल है बल्कि हरनारायण है। यह बात गलत है कि मैंने छीपाबडौद में नल बिजली लगवा रखी हो। छीपाबडौद में मेरा कोई मकान नहीं है एवं मतदादा सूची में मेरे पिता का नाम किसी के आदेश से व कहने से नहीं लिखवाया स्कूल का प्रमाण पत्र पेश नहीं किया।

अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राशन कार्ड किस सन् का है, राशन कार्ड में लिख रहा हूँगा यह राशन कार्ड 2010 का है, जो मेरे पिता जी हरनारायण ने बनवाया है। राशन कार्ड में मेरे बच्चे बच्चियों के नाम नहीं है। हरनारायण की मृत्यु झालावाड़ में हुई थी। मेरी माँ नाते खेजड़ा गांव की तरफ चली गई, नाते के बाद में उससे नहीं मिला, गोद की लिखा पढ़ी नहीं करवायी थी, क्योंकि जब मैं एक साल का था। गोद के वक्त कौन कौन गवाह थे मुझे पता नहीं, यह बात सही है कि हरनारायण के मरने के बाद इंतकाल प्रतिवादीगण के नाम खुला था वह फर्जी खुला था। जब मैंने यह दावा किया। प्रतिवादी तुलसा बाई के पक्ष में हरनारायण द्वारा वसीयत करायी गयी है वह झूठी व फर्जी है और उस समय मैं मौजूद नहीं था।

38 पी डब्ल्यू 2– चन्द्रीबाई ने अपनी जिरह में बताया कि यह बात गलत है कि तुलसा बाई से मेरा झगड़ा चल रहा हो। मैंने तुलसा बाई को नहीं देखा दावा दीपचन्द ने किया । दीपचन्द ने मुझसे पूछ कर दावा नहीं किया था। मैंने इस दावे की अपील बारां नहीं की, मैने पेंशन के कागज पर अंगूठा लगाया था, मैंने कोई जवाब पेश नहीं किया। तुलसा बाई के साथ एक बार तारीख करने अदालत में आयी थी। मैंने कुछ नहीं कहा था। मैंने दीपचन्द को रखा था, मैंने तो इसी दीपचन्द को गोद लिया था, तुलसा बाई गैलड आयी थी। मैंने दीपचन्द को 6 महीने का पाला था, बारां में भी दीपचन्द के पास रही थी, यह बात गलत है कि तुलसा बाई हरनारायण की बेटी हो बल्कि गैलड आयी थी। मैंने जवाबदावे पर अंगूठा नहीं लगाया था, तुलसा बाई हिस्सा लेना चाहती है। मैं गैलड को हिस्सा कैसे दे दूं। प्रतिवादी कम 1 चन्द्रीबाई ने अपने बयान में पी डब्ल्यू 2 में बताया की तुलसाबाई गैलड है मैं उसको नहीं जानती हूं वह हिस्सा लेना चाहती है। उसको मैं हिस्सा कैसे दे दूं। जब तुलसा बाई हरनारायण की लड़की नहीं थी

डॉ0-अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तो तुलसा बाई द्वारा जालसाजी से अपने नाम वसीयत करवा ली। प्रतिवादी कम 2 तुलसा बाई द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची में कम सं. 432 पर हरनारायण एवं 433 पर चन्द्रीबाई का नाम दर्ज है। तुलसा बाई का हीं भी नाम दर्ज नहीं है।

39 पी डब्ल्यू 3– अमरलाल ने अपनी जिरह में बताया कि दीपचन्द के पिता का नाम रतनलाल है। मेरी जमीन जायदाद ढोलम में है। दीपचन्द की माता का नाम क्या था मुझे पता नहीं। दीपचन्द की माता किसके गांव नाते गयी मुझे नहीं पता, मैंने तो सुना था। हरनारायण दीपचन्द का दादा था। यह सही है कि दीपचन्द को दादा हरनारायण ने ही पाला था। 25–30 साल करीब की बात है दीपचन्द की शादी छीपाबडौद से करके गया, तब से मैं दीपचन्द को जानता हूं, वसीयत किसको कहते हैं, मुझे समझाया जावे। मैंने पुरानी अदालत में कागज पर हस्ताक्षर किये थें, मेरी पैदाइश ढोलम की है। मैं तुलसा बाई को नहीं जानता मूला जाटव मेरे मामा जी थे। हरनारायण बारात में गये थे, वह वो मर गए, मैं साथ में नहीं था। हरनारायण के मरने के बाद उनकी जमीन का इंतकाल किसके नाम खुला पता नहीं। देहरी में 10–15 साल में आता जाता हूं। दीपचन्द छीपाबडौद में मजदूरी करने के लिए रहा था। मुझे पता नहीं की दीपचन्द कितना पढ़ा लिखा है। मैं हरनारायण के दाह संस्कार में नहीं आया था। नुक्ता किता तब आया था। हरनारायण के कोई औलाद नहीं थी, उसके छोटे भाई के एक ही लड़का दीपचन्द था। इसलिए उसको गोद लिया था। कागज पर हस्ताक्षर करते समय मैं मामा जी हरनारायण से मिलने आया था। इसलिए सही था। रतन लाल व हरनारायण दोनों मेरे मामा थे। यह बात गलत है कि हरनारायण के मरने के बाद तुलसा बाई का कब्जा हो। बल्कि दीपचन्द का कब्जा है। दीपचन्द जमीन को मुनाफे से जुपा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

देता था। यह बात गलत है कि जमीन पर तुलसा बाई का कब्जा हो, बल्कि दीपचन्द का कब्जा है।

40 पी डब्ल्यू 4– मांगीलाल पुत्र तुलसीराम ने अपनी जिरह में बताया कि दीपचन्द मुझसे 18 साल बड़ा है। यह बात सही है कि दीपचन्द को गोद जाते समय मैं पैदा नहीं हुआ था। मैंने दीपचन्द को गोद जाने के बारे में बुजुर्गों से सुना है। मैंने मेरे पिताजी तुलसीराम कन्हैया लाल, हंसराज, राजू, घांसीलाल, जगदीश, बदरू, छीतरलाल, प्रेम नारायण आदि से सुना था। मैंने जिन व्यक्तियों के नाम बताये हैं वह सभी जिन्दा है। मैं पढ़ा लिखा हूं हरनारायण के कोई भाई था या नहीं किसी बुर्जुग ने नहीं बताया। हरनारायण का एक भाई था। दीपचन्द के बच्चों को जानता हू। वसीयत पुरानी अदालत में लिखवायी थी। दोनों बुजुर्गों को मैं लेकर आया था। वसीयत नटवर लाल वकील ने लिखी थी और उन्होंने ही नोटेरी की थी और वसीयत में यह लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी समस्त चल अचल सम्पत्ति जमीन जायदाद मकान सभी दीपचन्द के नाम करके जा रहा हूं, किसी प्रकार का विवाद नहीं हो। जमीन पर दीपचन्द का कब्जा है।

41 डी डब्ल्यू 1– साक्ष्य प्रतिवादी तुलसाबाई ने अपनी जिरह में बताया कि मेरा ससुराल बारां में है, मैं ससुराल में कम रही हूं, पीहर में ज्यादा रही हूं, मां बाप के खातिर रही हूं, मेरी ससुराल में जमीन जायदाद नहीं है, मकान है। ससुराल में साल में दो महीने ही रही हूं, बाकी पीहर में रही हूं, मेरा राशनकार्ड ससुराल का बना है तथा वोटर आईडी बांरा की है। यह सही है कि देहरी का कोई नहीं है। हरनारायण ने एक ही वसीयत की है। मेरे पीछे और भी कोई वसीयत की हो तो पता नहीं है। चन्द्रीबाई की मृत्यु देहरी में हुई थी, मेरे मकान में ही मरी थी उसके कियाकर्म में दीपचन्द नहीं आया हरनारायण ने कियाकर्म के कार्ड कहां से छपे पता नहीं। हरनारायण की झालावाड़ में

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाकर मृत्यु हुई चन्द्रीबाई के कार्ड छपे हैं मैंने छपवाए परन्तु इस दावे में पेश नहीं किये। दीपचन्द के तन्हा खाते की जमीन मैने नहीं लिखवायी मेरे पिता की जमीन मेरे खाते में व उसके पिता की जमीन उसके खाते में इन दोनों वसीयत में दीपचन्द के खाते की जमीन है या नहीं मुझे पता नहीं। दीपचन्द गोद लिया हो तो मुझे पता नहीं। हरनारायण की वसीयत का स्टाम्प हरनारायण ही लेकर आया था। इसकी लिखा पढ़ी हरनारायण ने ही करवाई थी। हरनारायण दीपचन्द के पास नहीं रहा। वसीयत पर लिखने वाले के हस्ताक्षर हैं के नहीं मुझे याद नहीं। मैं मांगीलाल पुत्र भैरूलाल बडौदिया व मांगीलाल पुत्र तुलसीराम मीणा निवासी देहरी को नहीं जानता हूँ श्योजी पुत्र प्रभूलाल जाटव निवासी देहरी को भी नहीं जानती हूं। यह बात गलत है कि नकली हरनारायण व चन्द्रीबाई बनाकर गवाह कराई है। यह बात गलत है की चन्द्रीबाई दीपचन्द के यहां मृत्यु हुई हो एवं कियाकर्म दीपचन्द ने किया हो।

42 डी डब्ल्यू 2– साक्ष्य प्रतिवादी रामनाथ ने अपनी जिरह में बताया की हरनारायण हस्ताक्षरकर्ता था, अंगूठा नहीं करता था। वसीयत हरनारायण ने लिखाई थी व टाईप भी हरनारायण ने कराई थी। वसीयत पर पहले धनी ने हस्ताक्षर किये हरनारायण ने वसीयत पर हस्ताक्षर स्वयं ने करें। किसी ओर ने नहीं किये यह सही है कि वकील ने हरनारायण के हस्ताक्षर कराये थे। मैने वसीयत कराने की मना की थी, परन्तु उसने जबरन वसीयत करवाई। यह बात गलत है कि वसीयत पढ़ कर नहीं सुनाई हो। वसीयत का स्टाम्प कौन लेकर आया पता नहीं। मैने उसके हाथ में ही देखा, मैं वसीयत पर हस्ताक्षर करके चला गया। उसके बाद किसके हस्ताक्षर हुए पता नहीं, वसीयत में दीपचन्द के खाते की जमीन लिखी या नहीं लिखी मुझे पता नहीं। वसीयत में बारां वाला मकान लिखा या नहीं लिखा, मुझे पता नहीं।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

तुलसा बाई मेरे से 15–20 साल बड़ी होगी, मूला जाटव को मैंने नहीं देखा, तुलसा बाई की मॉ का नाम याद नहीं। मुझे यह भी पता नहीं की मोत्या हरनारायण के नाते आई हो और हरनारायण के कितनी औरते की थी मैने चन्द्रीबाई ही देखी है। हरनारायण ने इस वसीयत के अलावा और कोई वसीयत की हो तो मुझे पता नहीं हरनारायण का किया कर्म दोनों ने किया था। औरतों को पाग नहीं बधती है। यह बात सही है कि हरनारायण की पत्नि चन्द्रीबाई थी और उसके कोई संतान नहीं थी। हरनारायण ने दीपचन्द को गोद मेरे सामने नहीं रखा। दीपचन्द का पालना पोषण हरनारायण ने किया तथा शादी हरनारायण ने की थी।

43 डी डब्ल्यू 3– साक्ष्य प्रतिवादी हरीचरण ने अपनी जिरह में बताया कि वसीयत के 5–6 वर्ष बाद हरनारायण मरा था। तारीख याद नहीं है। इस वसीयत के बाद हरनारायण ने और कोई वसीयत की हो तो मुझे पता नहीं। वसीयत में देहरी की 10 बीघा जमीन एवं उदपुरिया की 19 बीघा जमीन लिखी थी। वसीयत के समय दीपचन्द मौजूद नहीं था। हरनारायण ने दीपचन्द को गोद लेने वाली बात इस वसीयत में नहीं लिखाई। वसीयत में जिस जमीन का हवाला दिया हो उस जमीन का खाता मैने नहीं देखा। यह बात गलत है कि वसीयत में दीपचन्द की जमीन का हवाला हो। हमारे जागा का नाम याद नहीं है। यह बात गलत है कि हरनारायण का कियाकर्म दीपचन्द ने किया हो। चन्द्रीबाई को मरे हुए 3–4 महीने हुए हैं। चन्द्रीबाई ने वसीयत दीपचन्द के नाम करी हो तो मुझे पता नहीं।

44 बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम केलखेडी, उदपुरिया, देहरी में स्थित है। वादी का पिता हरनारायण का सगा भाई है। वादी की मां दो तीन साल की उम्र में वादी को हरनारायण व चन्द्री को गोद

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

देकर नाते चली गई, तब से वादी हरनारायण के साथ रहा था। स्वर्गीय हरनारायण ने दिनांक 28.11.2005 को गवाह के समक्ष समस्त चल व अचल समपित्त की वसीयत वादी के नाम की गई। वादी स्वर्गीय हरनारायण के साथ अन्तिम समय तक रहा तथा वृद्धावस्था में उसकी सेवा चाकरी से लेकर समस्त चल अचल सम्पत्ति की देख रेख करता रहा। प्रतिवादी कम 2 तुलसा बाई गैलड आई थी उसके मृतक हरनारायण से सांठ गांठ करके धोखे से वसीयत दिनांक 09.12.2005 को करवा ली थी। जबकि मृतक हरनारायण को इसका पता ही नहीं था। प्रतिवादी कम 2 द्वारा साठ गांठ करके उक्त वसीयतनामा का नामा0 खुलवा लिया। प्रतिवादी कम 2 द्वारा प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 27.09.2008 अपने पक्ष में वसीयत करवा ली। प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 11.04.2011 को वादी के पक्ष में वसीयत लिखी गई तथा प्रतिवादी कम 1 चन्दरी बाई ने अपने बयानों में बताया कि मैंने जवाब दावा पेश नहीं किया, यह बताया कि मैंने दावे की अपील नहीं की है, मैंने पेंशन के कागजों पर अंगूठा लगाया था। दीपचन्द को मैने रखा था। मैने दीपचन्द को गोद लिया था, तुलसाबाई गैलड आयी थी, चन्दरी बाई ने दीपचन्द को 6 माह का पाला था। तुलसा बाई हरनारायण की बेटी नहीं होकर गैलड़ आई होना बताया था। प्रतिवादी कम 2 को गोद नहीं लिया है। वादी को गोद लिया था, इसलिए वादी खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है, वादी का वाद स्वीकार किया जावे।

45 बहस के दौरान वकील प्रतिवादी का कथन है कि वादी ने जमीन हड़पने के लिए कई हथकंड़े अपनाता है। मृतक हरनारायण ने वादी को कभी गोद नहीं लिया और न ही वादी मृतक हरनारायण के पास में रहा। प्रतिवादी कम 2 ने ही अंतिम संस्कार किया है। स्वर्गीय हरनारायण ने अपनी भूमि की दिनांक 09.12.2005 को प्रतिवादिया कम

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

2 के नाम वसीयत करा दी थी। विवादित भूमि पर प्रतिवादी कम 2 का कब्जा काश्त चला आ रहा है। वसीयत खारिज करने का अधिकार केवल दीवानी न्यायालय को ही है। सम्मानीय न्यायालय को नहीं है। वादी का वाद चलने योग्य नहीं है। खारिज फरमाया जावे। वादी खुद को दत्तक पुत्र होना बताता है जबकि दत्तक पुत्र की घोषणा भी दीवानी न्यायालय ही कर सकता है।वादी प्रतिवादी की भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहता है तथा प्रतिवादी कम 2 को भूमि से बेदखल करना चाहता है जबकि वादी को कोई अधिकार नहीं है। वकील प्रतिवादी द्वारा साईटेशन पेश किये गये हैं। **बोर्ड ऑफ रेवेन्यु 2016 आर बी जे पेज नं. 221 छोटू बनाम अन्य हरिसिंह बनाम गणपत, आर बी जे 19 पेज 644 चैना बनाम उदा, आर बी जे 15 2008 पेज नं. 83 प्रभपाल सिंह वगै0 बनाम अर्जितसिंह सीसीसी 2016 पेज नं. 608 हाईकोर्ट, ओम प्रकाश बनाम अशोक कुमार, आर बी जे 15 2008 पेज नं. 187 ओम प्रकाश, हरनारायण बनाम विजया बैंक लि0 सीसीसी 2003 पेज नं. 14, जगदीश प्रसाद बनाम भीमराम आर बी जे 21, 20014 पेज नं. 75 गौतम स्वरूप बनाम लीला जेटली, डी एन जे 2007–08 पेज नं. 321 इस प्रकार निम्न साईटेशन पेश किये गये।** वादी का वाद चलने योग्य नहीं होने से खारिज फरमाया जावे।

46 बहस अभिभाषक उभयपक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। वादी के वाद का तनकी वार निस्तारण निम्न प्रकार किया जाता है।

47 तनकी नम्बर 1 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल जमाबंदी ग्राम केलखेड़ी सम्वत 2060–63 खाता संख्या 76 के अनुसार विवादित आराजी खसरा नम्बर 13 रकबा 3.01 बीघा स्वर्गीय हरनारायण पुत्र दोला, जाति चमार के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम केलखेड़ी सम्वत 2060 से 2063 खाता संख्या

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

78 के कुल खसरा नम्बर 3 रकबा 4.14 बीघा स्वर्गीय हरनारायण पुत्र दोला, जाति जाटव, निवासी देहरी के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम देहरी सम्वत 2061–2064 के अनुसार खसरा नम्बर 2/437 रकबा 10 बीघा हरनारायण पुत्र दोला, जाति जाटव सा0 देह के खातेदारी में दर्ज है। नकल जमाबंदी ग्राम उदपुरिया खाता संख्या 87 के अनुसार खसरा नम्बर 7 रकबा 14.19 बीघा, खसरा नम्बर 8 रकबा 4.16 बीघा हरनारायण पुत्र दोला, जाति चमार, सा0 देह के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है। नकल जमाबंदी ग्राम देहरी सम्वत 2061 से 2064 खाता संख्या 140 के अनुसार कुल खसरा नम्बर 7 किता रकबा 11.17 बीघा हरनारायण हिस्सा 1/2 दीपा पुत्री रतना हिस्सा 1/2 जाति जाटव, निवासी देहरी दर्ज है। इससे यह साबित होता है कि विवादित आराजी मृतक हरनारायण के खातेदारी की है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

48 तनकी नम्बर 2 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रस्तुत नकल वोटर लिस्ट के अनुसार भाग संख्या 145 के क्रम संख्या 96 मकान कमांक 21 पर दीपचन्द पुत्र हरनारायण दर्ज है। पट्टा नगर पालिका बारां द्वारा जारी दिनांक 18.07.1999 में दीपचन्द पुत्र हरनारायण दर्ज है। नकल परिवार राशन कार्ड में हरनारायण, चन्द्रवती, दीपचन्द, सुमित्रा दर्ज है इससे यह साबित होता है कि रतनलाल की मृत्यु के बाद वादी की माता नाते चली गई तथा वादी को हरनारायण द्वारा गोद पुत्र रख लिया, क्योंकि यदि वादी की माता नाते नहीं जाती तो वादी की माता का नाम मतदाता सूची व राशन कार्ड में अंकित होना चाहिए था। मतदाता सूची व राशनकार्ड में नाम अंकित नहीं है। इससे यह साबित होता है कि वादी के पिता की मृत्यु होने के बाद वादी की मां नाते चली गई और वादी को हरनारायण व

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

चन्दरी बाई को गोद देकर चली गई। अतः तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

49 तनकी नम्बर 3 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। नकल वसीयतनामा दिनांक 28.11.2005 के अनुसार हरनारायण द्वारा वादी दीपचन्द के पक्ष में वसीयत किया जाना पाया जाता है। वसीयत नामा दिनांक 11.04.2011 के अनुसार चन्द्रीबाई द्वारा वादी के पक्ष में किया जाना पाया जाता है तथा नकल वसीयत नामा दिनांक 09.12.2005 प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में होना पाया जाता है। नकल वसीयत नामा दिनांक 27.09.2008 प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में चन्द्रीबाई द्वारा किया जाना पाया जाता है।

50 प्रतिवादी कम 1 चन्द्रीबाई द्वारा अपने बयान पी डब्ल्यू 2 की जिरह में बताया कि यह बात गलत है कि तुलसा बाई से मेरा झगडा चल रहा हो। मैंने तुलसा बाई को नहीं देखा। दावा दीपचन्द ने किया है। दीपचन्द ने मुझसे पूछ कर दावा नहीं किया था। मैने इस दावे की अपील बारां नहीं की । मैने पेंशन के कागज पर अंगूठा लगाया था। मैने कोई जवाब पेश नहीं किया। तुलसा बाई के साथ एक बार तारीख करने अदालत में आई थी। मैने कुछ नहीं कहा था। मैने दीपचन्द को रखा था मैने तो इसी दीपचन्द को गोद लिया था। तुलसाबाई गैलड आई थी, मैने दीपचन्द को 6 महीने का पाला था, बारां में भी दीपचन्द के पास रही थी यह बात गलत है कि तुलसा बाई हरनारायण की बेटी हो बल्कि गैलड आई थी, मैने जवाब दावे पर अंगूठा नहीं लगाया था, तुलसाबाई हिस्सा लेना चाहती है, मैं गैलड को हिस्सा कैसे दे दूँ।

51 बयान पी डब्ल्यू 4 मांगीलाल ने अपनी जिरह में बताया कि दीपचन्द मुझसे 18 साल बड़ा है। दीपचन्द को गोद लेते मैंने नहीं दखा। मैंने दीपचन्द को गोद जाने के बारे में बुजुर्गों से सुना है। मैंने

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

मेरे पिताजी तुलसीराम कन्हैया लाल, हंसराज, राजू, घांसी, जगदीश, बदरूलाल, छीतरलाल, प्रेमनारायण से सुना था। मैंने जिन व्यक्तियों के नाम बताये हैं वह सभी जिन्दा है। जमीन पर दीपचन्द का कब्जा है। जमीन करीब 40–50 बीघा है। यह बात गलत है कि सारी जमीन पर तुलसा बाई का कब्जा हो बल्कि दीपचन्द का कब्जा है। यह बात गलत है कि हरनारायण के मरने के बाद भूमि तुलसा बाई के नाम आई हो। यदि आई है तो यह बात गलत है। मैं अलग जाति का हूं और दीपचन्द अलग जाति का है। इससे यह साबित होता है कि हरनारायण द्वारा पहले वसीयत वादी के पक्ष में की तथा उसके बाद तुलसा बाई के पक्ष में वसीयत कर दी। हरनारायण के मरने के बाद चन्द्रीबाई द्वारा तुलसाबाई के पक्ष में वसीयत करवाई गई तथा बाद में सन् 2011 में दीपचन्द के नाम वसीयत होना पाया जाता है। चन्द्रीबाई द्वारा अपने बयानों में तुलसाबाई को नहीं जानती है, होना बताया तथा तुलसाबाई गैलड आई होना बताया इससे यही साबित होता है कि वसीयत जो कि वाद में चन्द्रीबाई के द्वारा दीपचंद्र के पक्ष में की है। दीपचंद्र ने ही हरनारायण का कियाकर्म नुक्ता गंगाजी ले जाना एवं शोक संदेश व फोटो से साबित होता है। खातेदार हरनारायण की मृत्यु के बाद उसकी पत्नि चन्द्रीबाई द्वारा अंतिम वसीयत वादी के पक्ष में वर्ष 2011 में ही गई है जो इस प्रकरण में अंतिम वसीयत है। वसीयत के आधार पर वादी खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है। अतः तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

52 तनकी नम्बर 4 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रतिवादी कम 1 चन्द्रीबाई ने अपने बयान में पी डब्ल्यू 2 में बताया कि तुलसाबाई गैलड है मैं उसको नहीं जानती हूं वह हिस्सा लेना चाहती है। उसको मैं हिस्सा कैसे दे दूं। जब तुलसा बाई हरनारायण की लड़की नहीं थी तो तुलसा बाई द्वारा जालसाजी से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपने नाम वसीयत करवा ली। प्रतिवादी कम 2 तुलसाबाई द्वारा प्रस्तुत मतदाता सूची में कम संख्या 432 पर हरनारायण एवं 433 पर चन्द्रीबाई का नाम दर्ज है। तुलसा बाई का कहीं भी नाम दर्ज नहीं है। इससे भी यह साबित होता है कि तुलसाबाई हरनारायण की पुत्री नहीं है।

53 माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के निर्णय दिनांक 07.05.2013 की प्रतिवादी कम 2 द्वारा नकल पेश की गई है। माननीय न्यायालय में प्रतिवादिया कम 2 द्वारा निगरानी पेश की गई उसमें प्रतिवादिया कम 2 के पिता का नाम मूला लिखा हुआ है, इससे भी यह साबित होता है कि तुलसा बाई मूला की पुत्री है न कि हरनारायण की। वादी के पक्ष में हरनारायण द्वारा दिनांक 28.11.2005 को तथा उनके मरने के बाद उसकी पत्नि चन्द्रीबाई द्वारा अंतिम बार दिनांक 11.04.2011 को वसीयत की गई थी। हरनारायण के बड़े भाई का लड़का है। तुलसा बाई मूला की पुत्री है। मूला किसका लड़का व भाई था कहीं भी उल्लेख नहीं किया गया है। प्रतिवादिया कम 2 द्वारा अपने पक्ष में वसीयत दिनांक 09.12.2005 व 27.09.2008 को करवाई गई थी। जबकि वादी के पक्ष में अंतिम बार दिनांक 11.04.2011 को वसीयत की है। प्रतिवादी कम 2 द्वारा वसीयत के आधार पर खुलवाया गया नामा0 प्रभाव शून्य है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

54 तनकी नम्बर 5 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। प्रतिवादिया द्वारा वसीयत नामा0 दिनांक 09.12.2005 के आधार पर अपने पक्ष में हिस्सा 1/2 का नामा0 खुलवाया है, परन्तु इंतकाल तस्दीक करते समय वादी को नहीं सुना गया। वादी के बिना सुने ही इंतकाल तस्दीक किया गया है जब हरनारायण द्वारा अपनी समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत प्रतिवादिया कम 2 के पक्ष में कर दी गई तो मुताबिक वसीयत प्रतिवादिया कम 2 के पक्ष में समस्त चल

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अचल सम्पत्ति का नामा0 खोला जाना चाहिए था। 1/2 हिस्से की भूमि का ही नामा0 क्यों खोला गया। इससे यह साबित होता है कि प्रतिवादिया कम 2 द्वारा सांठ गांठ करके नामा0 खुलवाया है जो गलत है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

55 तनकी नम्बर 6 इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वसीयत नामा0 दिनांक 28.11.2005 हरनारायण द्वारा वादी के पक्ष में लिखी गई थी। उनके मरने के बाद समस्त चल अचल सम्पत्ति की वसीयत हरनारायण की पत्नि चन्द्रीबाई द्वारा दिनांक 11.04.2011 को वादी दीपचन्द के पक्ष में की गई। प्रथम व अंतिम बार वसीयत वादी दीपचन्द के पक्ष में की गई है। इसलिए वादी समस्त आराजीयात का खातेदार कृषक घोषित कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

56 तनकी नम्बर 7 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी कम 2 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया जिससे यह साबित हो सके कि मृतक हरनारायण का अंतिम संस्कार प्रतिवादिया तुलसा बाई ने किया है। प्रतिवादी साक्ष्य पी डब्ल्यू 3 रामनाथ ने अपने बयानों में बताया कि चन्द्री बाई के कोई संतान नहीं थी। हरनारायण ने दीपचन्द को गोद मेरे सामने नहीं रखा। दीपचन्द का पालन पोषण हरनारायण ने किया था। दीपचन्द की शादी हरनारायण ने की थी। इससे यह साबित होता है कि दीपचन्द को हरनारायण ने ही रखा था। प्रस्तुत फोटो व शोक संदेश से भी यह साबित हो है कि मृतक हरनारायण का कियाकर्म व गंगा जी ले जाना व नुक्ता वादी दीपचन्द द्वारा ही किया गया था। वर्तमान में वादी का ही कब्जा काश्त चला आ रहा है। प्रतिवादी कम 2 द्वारा कब्जे बाबत ऐसा कोई दस्तावेज साक्ष्य या साबूत पेश नहीं किया जिससे प्रतिवादी कम 2 का कब्जा साबित हो सके। प्रतिवादिया कम 2 अंतिम संस्कार

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

व कब्जा साबित करने में विफल रहे हैं। अतः यह तनकी प्रतिवादी के विरूद्ध व वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

57 तनकी नम्बर 8 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। वसीयत नामा0 दिनांक 09.12.2005 एवं दिनांक 27.09.2008 मृतक हरनारायण व चन्द्रीबाई द्वारा की गई थी। परन्तु वादी के पक्ष में वसीयत दिनांक 28.11.2005 एवं दिनांक 11.04.2011 को मृतक हरनारायण व चन्द्रीबाई द्वारा की गई थी। वादी के पक्ष में सबसे पहले एवं अंतिम बार वसीयत की गई थी। इसलिए प्रतिवादी कम 2 के पक्ष में भी की गई वसीयत वैसे ही प्रभाव शून्य है उनको साबित करने का कोई मतलब ही नहीं है। उक्त वाद को सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को ही है। सिविल न्यायालय को नहीं है। वादी मृतक हरनारायण के सगे भाई का लड़का है इसलिए दत्तक पुत्र घोषित करने की आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादिया कम 2 को प्रतिवादी कम 1 चन्द्रीबाई जो हरनारायण की पत्नि थी उसने तुलसा बाई को नहीं देखा और तुलसा बाई गैलड आना बयानों में बताया है। चन्द्रीबाई द्वारा अपने पक्ष में कोई जवाब दावा पेश नहीं किया होना बताया है जब प्रतिवादिया कम 1 द्वारा जवाब दावा पेश नहीं किया तो उसकी ओर से किसके द्वारा जवाब दावा पेश किया गया है। वादी के पक्ष में अंतिम बार दिनांक 11.04.2011 को वसीयत की गई है। प्रतिवादिया कम 2 अपना पक्ष साबित करने में विफल रही है। अतः यह तनकी प्रतिवादी कम 2 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

58 तनकी नम्बर 9 इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादिया कम 2 पर था। प्रतिवादिया कम 2 द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य व सबूत पेश नहीं किया, जिसमें यह साबित हो सके कि वादी जमीन हड़पना चाहता है जबकि भूमि पर वादी का ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादिया द्वारा कब्जे बाबत भी कोई रेकार्ड पेश नहीं और न ही

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

हरनारायण की पुत्री होने का रिकार्ड पेश किया, जिससे यह साबित हो सके कि विवादित भूमि पर प्रतिवादिया का कब्जा चला आ रहा है और प्रतिवादिया मृतक हरनारायण की पुत्री है यह सब साबित करने में प्रतिवादिया कम 2 विफल रही है। अतः यह तनकी प्रतिवादिया कम 2 के विरूद्ध एवं वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

59 उपरोक्त तनकीयात के विवेचना से यह तथ्य सामने आते हैं कि विवादित भूमि की वसीयत अंतिम बार दिनांक 11.04.2011 को दीपचन्द वादी के पक्ष में की गई है और प्रतिवादिया कम 2 तुलसी बाई हरनारायण की पुत्री होने का कोई दस्तावेजी साक्ष्य व सबूत पेश करने में एवं विवादित भूमि पर कब्जा साबित करने में विफल रही है। प्रतिवादिया कम 2 स्वयं को हरनारायण की पुत्री होना बताती है। **प्रतिवादिया उनके द्वारा माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी प्रस्तुत की उसमें अपने पिता का नाम मूला लिखा हुआ है** इससे भी यह साबित होता है कि प्रतिवादिया तुलसाबाई मृतक हरनारायण की पुत्री नहीं है। प्रथम व अंतिम बार वसीयत वादी के पक्ष में की गई है। अंतिम बार वसीयत के आधार पर वादी का वाद स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

60 उपरोक्त विवेचनानुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। प्रतिवादिया कम 2 का काउंटर क्लेम खारिज किया जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम केलखेड़ी, तहसील छबड़ा के खसरा नम्बर 13 रकबा 3.01 बीघा, खसरा नम्बर 12 मिन 1 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नम्बर 14 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बीर 75/1 रकबा 17 बिस्वा एवं ग्राम उदपुरिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 14.19 बीघा, खसरा नम्बर 8 रकबा 4.16 बीघा, तथा ग्राम देहरी के खसरा नम्बर 2/437 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

06 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 407/1 रकबा 10.08 बीघा पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादिया क्रम 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

61 इस न्यायालय में प्रस्तुत अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि –

62 अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्य, साक्ष्य, अभिवचनों और उपलब्ध दस्तावेजात के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

63 वादी/रेस्पोडेंट ने वाद पत्र में ही यह कथन आलेखित किया है कि वे एकमात्र संतान रतन लाल की है, हिन्दू दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मात्र एक संतान हो, वह दत्तक नहीं दिया जा सकता और ना ही लिया जा सकता है। दत्तक ग्रहण अधिनियम के तहत दत्तक देने वाले के दो पुत्र होना आवश्यक है।

64 दत्तक पुत्र के लिये दत्तक ग्रहण करना और दत्तक देना अर्थात् गिविंग एण्ड टेकिंग सेरेमनी आवश्यकीय है। बिना उसके कोई भी दत्तक पुत्र होना साबित नहीं होता है, जो प्लीडिंग में होना कहीं भी साबित नहीं है।

65 इस प्रकार बिन्दु संख्या 2 वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में तय करके भारी भूल की है, साक्ष्य का अभिवचन नहीं किया गया है।

66 दत्तक साबित करने के लिए स्कूल का प्रमाण पत्र व लिखित गोदनामा सम्बन्धित गोदनामा सम्बन्धित दस्तावेज पेश करना

डॉ0 [illegible] टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आवश्यकीय था, जो प्रस्तुत नहीं हुए फिर भी बिन्दु कम 2 वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में तय करने में भारी भूल की है। प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों की अवहेलना की है। वादी ने गोद लेने व गोद देने के सम्बन्ध में एक भी साक्ष्य पेश नहीं किया उसके बावजूद इस तनकी को वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में तय करके भारी भूल की गई है।

67 वादी/रेस्पोडेंट हरनारायण का गोद पुत्र है तो उसे तय करने अधिकार मात्र दीवानी न्यायालय को था ना कि राजस्व न्यायालय को ? न्यायालय ने बिना साक्ष्य के विवेचना किये ही अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त 2016 आर बी जे 221, आर आर जे 2012 पेज 644, आर बी जे 2008 पेज 83 व 2006 पार्ट 1 सिविल कोर्ट के केसेज 563 पेश भी किये जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि रेवेन्यु न्यायालय को यह तय करने का अधिकार नहीं है। उसके बावजूद भी तनकी नम्बर 2 का निर्णय बिना विधिक साक्ष्य व दस्तावेजात के वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में तय करने में भारी भूल की है।

68 तनकी कम 3 का निर्णय में विरोधाभाषी निर्णय देकर जिसमें बिन्दु यह विरचित हुआ था कि क्या दिनांक 28.11.2005 की वसीयत हरनारायण द्वारा दीपचन्द के पक्ष में आलेखित की ? जब वह गोदपुत्र था तो उसको वसीयत आलेखित करने की आवश्यकता कहां थी ? और उक्त वसीयत दिनांक 09.12.2005 को अपीलांट के पक्ष में आलेखित होने से निरस्त की जा चुकी थी, जिसको स्वयं वादी/रेस्पोडेंट ने निरस्त करने का दावा भी पेश किया, जिसकी वैधता की चुनौती मात्र दीवानी न्यायालय में ही दी जा सकती थी ना कि राजस्व न्यायालय में। इस सम्बन्ध में भी अपीलांट ने माननीय अधीनस्थ न्यायालय में न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये थे जो 2019 आर बी जे पेज 142 और अन्य को भी अनदेखा कर अधीनस्थ न्यायालय ने बिन्दु

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

कम 3 का निर्णय वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में तय करने में भारी भूल की है।

69 अधीनस्थ न्यायालय ने वर्ष 2005 के आधार पर जो तनकी बनी थी उस पर निर्णय ना देकर एक अन्य वसीयत को वैध मानकर जो 2011 की बताई गई है, उसे अन्तिम वसीयत मानकर अभिवचनों के विपरीत जाकर निर्णय पारित कर दिया, जो विधि विरूद्ध होने से अपास्तनीय है।

70 इसी प्रकार बिन्दु कम 4 को भी अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी अधिकार के होते हुए वसीयत की वैधता को मानते हुए अपीलांट की वसीयत को निरस्त करने में भारी भूल की है।

71 अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट/प्रतिवादी द्वारा यह भी दृष्टान्त प्रस्तुत किये थे कि वादी/रेस्पोडेंट को अपना वाद साबित करना पड़ेगा, प्रतिवादी की साक्ष्य की कमजोरी का लाभ उठाने का अधिकार उसे नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलांट ने न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत किये लेकिन उन्हें अनदेखा कर तनकी संख्या 5 व 6 वादी/रेस्पोडेंट के पक्ष में निर्णित करने में भारी भूल की है।

72 तनकी संख्या 7, 8 व 9 के पक्ष में अपीलांट/प्रतिवादी ने पुष्ट साक्ष्य प्रस्तुत की थी, किन्तु उसके बावजूद भी दृष्टान्त पेश करने के बाद भी वसीयत को अवैध घोषित करने और गोदपुत्र साबित करने का अधिकार केवल मात्र दीवानी न्यायालय को है, ना की राजस्व न्यायालय को। अधीनस्थ न्यायालय ने अपनी परिसीमा को लांघकर स्वयं वादी/रेस्पोडेंट के द्वारा आलेखित अभिवचनों के विपरीत जाकर स्वयं विवेक से ही आर्बिट्रेरी निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है।

डॉ० अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

73 सम्पूर्ण वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने किसी तथाकथित वसीयतनामा दिनांक 11.04.2011 को निर्णय का माध्यम बना जिस पर ना तो कोई तनकी बनी ना ही वादी/रेस्पोडेंट के अभिवचनों में उसका कथन है इससे यह प्रकट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवेकपूर्ण तरीके से ना तो वाद को पढ़ा, ना ही बिन्दु व तनकीयात को देखा तथा परिसीमाओं के बाहर जाकर जो वाद निरस्त किया जाना चाहिए था उसे त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित कर दिया, जो त्रुटिपूर्ण है, निरस्तनीय है। श्रीमती चन्द्रीबाई का देहान्त हो चुका है तथा अपीलांट के अलावा कोई वारिस नहीं है।

74 वादी/रेस्पोडेंट के किसी भी साक्ष्य में वादी द्वारा प्रस्तुत वाद को प्रमाणित नहीं किया, उसके बावजूद निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय ने भारी भूल की है।

75 अतः अपील अपीलांट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर निर्णय व डिक्री दिनांक 12.01.2021 निरस्त की जाकर रेस्पोडेंट का वाद खारिज किया जावे तथा अपीलांट का काउंटर क्लेम स्वीकार किया जावे। अन्य न्यायोचित सहायता जो भी माननीय न्यायालय उचित समझे अपीलांट को प्रदान की जावे।

76 अपील के साथ केवियट प्रार्थना पत्र तथा स्थगन आदेश प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिस पर अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक केवियट कर्ता को सुनकर उपखण्ड अधिकार छबडा के निर्णय दिनांक 12–01–2021 पर विवादित आराजी में आगामी तारीख पेशी तक यथास्थिति के आदेश प्रदान किये गये।

77 अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

78 तुलसीबाई पुत्री हरनारायण पत्नी भवानीशंकर की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 दी. प्र. सं. पेश कर निवेदन किया कि —

79 अपीलांट ने माननीय न्यायालय में एक अपील दायर कर रखी है, जो कि दिनांक 15.07.2021 को दर्ज रजिस्टर हुई थी तथा न्यायालय ने पक्षकारों को सुनकर डिक्री के निष्पादन की कार्यवाही स्थगित की गई थी, जिसकी सूचना रेस्पोडेंट को उपखण्ड अधिकारी, कोटा को हो चुकी है तथा दिनांक 12.01.2021 से डिक्री की कियान्विती स्थगित कर दी गई थी।

80 प्रकरण में दिनांक 23.02.2021 तारीख पेशी दी गयी थी, दोनों ही पक्षकारों की उपस्थिति में दिनांक 16.03.2021 रखी गयी तब तक के लिये स्थगन के आदेश की अवधि बढ़ा दी गई थी। दिनांक 16.03.2021 के आदेश की अवधि दिनांक 19.04.2021 तक बढ़ायी गयी थी, जिसकी जानकारी रेस्पोडेंट को थी, किन्तु दुर्भावनापूर्वक दिनांक 12.03.2021 को इसका इंतकाल नं. 589 प्रतिपक्षी कम 2, 3 के पक्ष में खोल दिया गया, जबकि अपील विचाराधीन थी, जिस पर न्यायालय ने न्यायालय के विरूद्ध और जिनके पक्ष में नामान्तरकरण खोला था, उनके विरूद्ध न्यायिक अवमानना की कार्यवाही की, जिसको न्यायालय ने अपनी गलती मानते हुए दिनांक 06.04.2021 को नामान्तरकरण संख्या 589 खारिज करते हुए नामान्तरकरण संख्या 429 को भी खारिज करते हुए निर्णय पारित कर दिया गया। जिसकी अपील दीपचन्द द्वारा श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां में दायर की थी, जिसे भी अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां ने दिनांक 05.04.2022 को निरस्त कर दिया।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

81 उपरोक्त निर्णय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां इन्हीं पक्षकारों के मध्य, इसी आराजीयात के सम्बन्ध में है, जो महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो अपील के दौरान निर्णित हुआ है, जिसको न्यायहित में रेकार्ड पर लिया जाना न्यायोचित है।

82 अतः निवेदन है कि अपील निर्णय के पूर्व श्रीमान् अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 05.04.2022 दीपचन्द बनाम श्रीमती तुलसीबाई को रेकार्ड पर लिये जाने का आदेश प्रदान करें।

83 अपीलांट के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 दी. प्र. सं. का रेस्पोडेंट कम 1 ने जवाब प्रस्तुत किया कि

84 प्रार्थना पत्र की मद नं. 1 जिस तरह से लिखी गई है स्वीकार नहीं है। क्योंकि माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 12.01.2021 के स्थगन आदेश की सूचना अपीलांट द्वारा उपखण्ड अधिकारी, अथवा तहसीलदार छबड़ा को दी गई और ना ही माननीय अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार महोदय, छबड़ा को उक्त स्थगन की जानकारी थी, इस कारण इन्तकाल संख्या 429 दिनांक 12.03.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के निर्णय एवं डिक्री की पालना में तस्दीक किया गया था।

85 प्रार्थना पत्र की मद नं. 2 जिस तरह से लिखी गई है स्वीकार नहीं है। क्योंकि माननीय न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां भी अपने निर्णय भी अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार छबड़ा को जानकारी नहीं होने के तथ्यों को दोहराया है।

86 प्रार्थना पत्र की मद नं. 3 स्वीकार नहीं है क्योंकि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर, बारां के निर्णय की उक्त अपील में किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, और ना ही उक्त आदेश से

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

माननीय न्यायालय को कोई मदद मिली, इस कारण प्रस्तुत आदेश को रेकार्ड पर लिया जाना आवश्यक नहीं है।

87 अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट का प्रार्थना पत्र सव्यय निरस्त फरमाया जावे।

88 अपीलांट के प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 सी पी सी पर अभिभाषकगण उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर न्यायहित में दिनांक 05.12.2022 को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात रेकार्ड पर लिये गये।

89 विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में निम्न न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

1– आर बी जे (23) 2016 पेज 222

2– आर बी जे (19) 2012 पेज 644

3– आर बी जे (15) 2008 पेज 83

4– सिविल कोर्ट केस 2006 (1) पेज 563

5– सिविल कोर्ट केस 2016 (सप्ली.) पेज 608

6– आर बी जे (15) 2008 पेज 188

7– सिविल कोर्ट केस 2003 (1) पेज 4

8– सिविल कोर्ट केस 2012 (4) पेज 279

9– आर बी जे (21) 2014 पेज 76

10– आर बी जे (18) 2011 पेज 261

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

11– आर बी जे (17) 2010 पेज 370

12– 2007–08 डी एन जे (एस सी) (सप्ली.) पेज 321

13– IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NOS. 9558-9559 OF 2018

14– आर बी जे (26) 2019 पेज 142

90 विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत पेश किये–

IN THE SUPREME COURT OF INDIA CIVIL APPELLATE JURISDICTION CIVIL APPEAL NOS. 6325-6326 OF 2015

91 हमने उभयपक्षों के विद्वान योग्य अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों एवं कानूनी विनिर्णयों का ध्यानपूर्वक एवं सम्मानपूर्वक अध्ययन किया एवं अधीनस्थ न्यायालय के रेकार्ड का अवलोकन किया ।

92 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर बहुत सारे बिन्दुओं पर हमें विरोधाभास नजर आया।

93 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम दिनांक 22.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय ने एक फैसला पारित किया जिसमें सम्पूर्ण आराजी में दीपचन्द व तुलसाबाई को 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित किया गया। जिसकी अपील न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के न्यायालय में हुई, जिस पर न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा ने दिनांक 08.09.2016 को अपील रिमाण्ड की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा ने पुनः दिनांक 12.01.2021 को फैसला किया कि वादी का वाद स्वीकार

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

जाता है। विवादित आराजी वाके ग्राम केलखेड़ी, तहसील छबड़ा के खसरा नम्बर 13 रकबा 3.01 बीघा, खसरा नम्बर 12 मिन 1 रकबा 1.15 बीघा, खसरा नम्बर 14 रकबा 2.02 बीघा, खसरा नम्बीर 75/1 रकबा 17 बिस्वा एवं ग्राम उदपुरिया के खसरा नम्बर 7 रकबा 14.19 बीघा, खसरा नम्बर 8 रकबा 4.16 बीघा, तथा ग्राम देहरी के खसरा नम्बर 2/437 रकबा 10 बीघा, खसरा नम्बर 128 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 130 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 131 रकबा 02 बिस्वा, खसरा नम्बर 183 रकबा 06 बिस्वा, खसरा नम्बर 187 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 195 रकबा 03 बिस्वा, खसरा नम्बर 407/1 रकबा 10.08 बीघा पर वादी को खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादिया कम 2 को जर्ये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें। तदनुसार डिकी पर्चा जारी हो। जिसकी अपील इस न्यायालय में पुनः दर्ज की गई।

94 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि हरनारायण की मृत्यु दिनांक 01.05.2006 को हो गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में हरनारायण की मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति उपलब्ध है।

95 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि सर्वप्रथम दिनांक 28.11.2005 को एक वसीयत हरनारायण ने दीपचन्द के पक्ष में नोटेरी कर्ता नटवरलाल माहेश्वरी नोटेरी, छबड़ा जिला बारां में किया गया है जिसमें गवाह नं. 1 प्रभूलाल व गवाह नम्बर 2 अमरलाल है। (एक्जीविट पी. 7 ए. दिनांक 22.02.2011 फोटोप्रति)

96 दिनांक 09.12.2005 को दूसरी वसीयत हरनारायण ने तुलसाबाई के पक्ष में नोटेरी कर्ता भगवान स्वरूप भार्गव नोटेरी, छबड़ा जिला बारां

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

में किया गया है जिसमें गवाह नं. 1 हरिचरण व गवाह नम्बर 2 रामनाथ है। (एक्जीविट डी. 1 ए. दिनांक 27.02.2013 फोटोप्रति)

97 दिनांक 27.09.2008 को तीसरी वसीयत चन्द्रीबाई ने तुलसाबाई के पक्ष में नोटेरी कर्ता भगवान स्वरूप भार्गव नोटेरी, छबड़ा जिला बारां में किया गया है जिसमें गवाह नं. 1 गजेन्द्र सिंह व गवाह नम्बर 2 शंकरलाल है। (एक्जीविट डी. 2 दिनांक 27.02.2013 फोटोप्रति)

98 दिनांक 11.04.2011 को चौथी वसीयत चन्द्रीबाई ने दीपचन्द के पक्ष में नोटेरी कर्ता हरि मोहन भार्गव नोटेरी, छबड़ा जिला बारां में किया गया है जिसमें गवाह नं. 1 बद्रीलाल व गवाह नम्बर 2 मोहन है। (एक्जीविट पी. 23 दिनांक 27.03.2013 फोटोप्रति)

99 अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि अपने जीवन काल में दो बार हरनारायण एवं दो बार चन्द्रीबाई पत्नी हरनारायण ने वसीयत की थी। अतः अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वसीयतों को सक्षम न्यायालय से विधि मान्य घोषित करवाया जाना चाहिए था, जो नहीं करवाया गया है।

100 इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में ये जो दस्तावेजात पेश किये गये हैं इनका अधीनस्थ न्यायालय को गहनता से अध्ययन करना चाहिए था, जिसका इस निर्णय में अभाव है।

101 पी.डब्ल्यू. 3 अमरलाल से जिरह की गई। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, छबड़ा के निर्णय के पेज नम्बर 5 में अमरलाल पुनः जिरह में दो विरोधाभासी तथ्य प्रस्तुत करता है। एक तरफ तो यह कह रहा है कि हरनारायण दीपचन्द का दादा था और एक तरफ कह रहा है कि हरनारायण के छोटे भाई के एक ही लड़का दीपचन्द था जो विरोधाभासी तथ्य हैं जिसको अधीनस्थ न्यायालय को देखा जाना चाहिए था।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

102 डी.डब्ल्यू. 2 रामनाथ से जिरह की गई। इसमें रामनाथ यह कह रहे हैं कि तुलसाबाई की माँ का नाम याद नहीं तथा नाते आये थी यह मुझे पता नहीं।

103 इस प्रकार एक से अधिक बार वसीयत लिखी गई है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध वसीयतों को सक्षम न्यायालय से विधि मान्य घोषित करवाया जाना चाहिए था। अतः हम प्रकरण को पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित समझते हैं।

104 उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक12.01.2021 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण में उपलब्ध वसीयत पत्रों को सक्षम न्यायालय में विधिमान्य घोषित करवाते हुए पुनः साक्ष्य, सुनवाई का उचित अवसर देते हुए एवं साथ ही उपखण्ड अधिकारी, छबडा की पत्रावली में उपलब्ध एवं मौजूद दस्तावेजों का गहनता से अध्ययन एवं अवलोकन करके पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 11.07.2023 को उपस्थित होवें।

105 निर्णय की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली वापस भेजी जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही पंजीबद्ध कार्यालय की जावे।

106 निर्णय आज दिनांक 10.04.2023 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

10/4/2023
(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा